संख्या-154/2017/2328/26-3-2017-10(36)/2002

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 अक्टूबर 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अन्र्तगत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-169/13/ज.जा.वि./2017-18, दिनांक-17.08.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''2225-02-796-15-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)'' में संचालित अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता योजना में किये गये आय-व्ययक प्राविधान रूपया-13.05 लाख के सापेक्ष स्वीकृत लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम 05 माह (माह अप्रैल से माह अगस्त 2017 तक के लिये) हेतु जारी धनराशि रूपया-5.40 लाख (रूपये पांच लाख चालीस हजार मात्र) को समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि रूपया-7.65 लाख (रूपये सात लाख पैसठ हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन अनियमितता मानी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है।

(3) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व जिन मामलों में शासन की पूर्व अनुमति/स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें अनुमति प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का पुर्नविनियोजन एक योजना/मद से दूसरी योजना/मद में नही किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-15-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता-20--सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)' के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0 संख्या-154/2017/2328 (1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।